

18-7-19

परिभाषण के बाद एपिलीकरण के लिये के बाद
उसी स्थिति में किया हुआ है। यह एपिलीकरण
कामोत्तरक वसति प्रदान किया है। 19/11/19

24-9-19

परिभाषण के प्रा. पत्र पर ध्यानपूर्वक देखा
याद की गई। परिभाषण के प्रा. पत्र में विवेचन
किया है कि उनमें अपील समझना ही
गया है, जिसमें यह भी हुआ है कि

Handwritten notes on the right margin, including a signature and some illegible text.

परिभाषण एक दूसरे के विरुद्ध किसे गैरसमझ
मुकदमे का किसे ले लेगी। अतः प्रस्तुत अपील
विज्ञा करने की इजाजत दी जावे।

इसने प्रा. पत्र पर गौर किया।

परिभाषण के प्रा. पत्र पर गौर करने के
इस आशय में अपील विज्ञा करने की
इजाजत दिया जाना उचित समझा है।

अतः आदेश है कि अपील शीघ्र
विज्ञा किसे जाने की स्थिति में खारिज
की जाती है।

पत्रावली संसल हुआ है।

Handwritten signature and date 24/9/19.

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलाहाबाद